

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद,
INDIAN COUNCIL OF FORESTRY RESEARCH & EDUCATION
 (पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद्)
 (An Autonomous Body under the Ministry of Environment & Forests, & CC Govt. Of India)
 डाकघर न्यू फारेस्ट, देहरादून
 P.O. New Forest, DEHRADUN- 248006

वर्ष 2018 के लिए (01. 01. 2019 की स्थिति के अनुसार) अचल संपत्ति का विवरण

Statement of Annual Immovable Property for year 2018 (as on 01.01.2019)

सेवा / Service ICFRE

अधिकारी का पूरा नाम / Name of officer _____ पदनाम / Designation _____ विभाग / Ministry / Department _____

जन्म तिथी / Date of Birth: _____ वर्तमान वेतनमूल / Present Pay: Basic: _____ ग्रेड वेतन / Grade Pay _____

जिला, प्रभाग, तालुख और गाँव का नाम जहाँ सम्पत्ति अवस्थित है	सम्पत्ति, का नाम और ब्यौरा -मकान भूमि और अन्य भवन	निर्माण/अधिग्रहण करने की लागत जिसमें मकान के मामले में भूमि शामिल है और जिस वर्ष में खरीदा गया	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर नहीं हो तो उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसके स्वामित्व में है और उसका सरकारी सेवक से संबंध	कैसे अर्जित की गई:-(क्या क्रय द्वारा, गिरवी**,पट्टे पर, उत्तराधिकार के उपहार स्वरूप अथवा अन्यथा प्राप्त है सहित अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई है उस व्यक्ति का ब्यौरा)	सम्पत्ति से प्राप्त कुल वार्षिक आय	अभ्युक्तियाँ
Name of district Sub-Division , Taluk and village in which property is situated	Name and details of property-housing, lands and other buildings	Cost of Construction/ acquirement including land in case of house, and year when purchased	*Present value	If not in own name state in whose name held and his/her relationship to the government Servant	How acquired- whether by purchase lease**, mortgage, inheritance gift or otherwise with date of acquisition and name with details of persons from whom acquired	Annual income from the property	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

हस्ताक्षर / Signature-----

दिनांक / Date-----

P.T.O / कृ०पृ०

नोट:-

NOTES:-

1. * यदि किसी मामले में मूल्य का स्टीक आकलन करना संभव नहीं हो तो वर्तमान शर्तों के संदर्भ में अनुमानित मूल्य दर्शाया जाए।
* In case where it is not possible to assess the value accurately the approximate value in relation to present conditions may be indicated
2. ** अल्पावधि पट्टा भी शामिल है।
** Includes short-term lease also.
3. केन्द्रीय सिविल सेवा(आचरण) नियमावली 1955 के नियम 15 (3) (अब सीसीएस (आचरण) नियम 1964 के नियम 18 (1) के अंतर्गत श्रेणी। (वर्ग 'क' और वर्ग 'ख') के प्रत्येक सदस्य द्वारा सेवा की प्रथम नियुक्ति पर और तत्पश्चात् प्रत्येक बारह महीनों के अंतराल पर स्वयं के नाम पर अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा सरकारी सेवा पर आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर स्वामित्व वाली, अर्जित और उत्तराधिकार में प्राप्त अथवा लीज अथवा गिरवी की गई सभी अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा इस घोषणा पत्र में भरा जाना और प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
The declaration from is required to be filled and submitted by every member of ClassII (Group A and Group B) services under rule 15(3) of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1955 [now rule 18(1) of the CCS (Conduct) Rules, 1964] on the first appointment to the service and thereafter at the interval of every twelve months, giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any members of his family or in the name of any other person dependent on government servant.
4. "कोई परिवर्तन नहीं" अथवा "जैसा पिछले वर्ष में था" शब्दों का प्रयोग न किया जाए और पूर्ण ब्यौरा दिया जाए।
The wording "no change" or "as in the previous year" should be avoided and full details provided.